शिविर आयोजित

शाहपुरा। प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर एवं अधिकारियों की उपस्थिति व मार्गदर्शन में सेंट एम एम एकेडमी विद्यालय में दो दिवसीय आधार कार्ड एवं डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी हेतु शिविर का आयोजन किया गया। संस्था संस्थापक एडवोकेट अरुण टांक ने बताया कि शाहपुरा प्रधान डाकघर की तरफ से दो दिवसीय आधार कार्ड शिविर का आयोजन 13 व 14 मई को किया गया जिसमें कुल 67 आधार कार्ड, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स, नाम व जन्मतिथि करेक्शन,फोटो अपडेट आदि कार्य हुये तथा डाकघर की लाभकारी योजनाओं को सीधा जनता तक पहुंचाने की इस अनूठी पहल का स्वागत किया।

शाहपुरा नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष रविश खटाणा एवं पार्षद पूनम शर्मा ने जनता तक पहुंच कर आधार कार्ड में समस्याओं के समाधान करने के कार्य की सराहना की तथा भविष्य में भी इसी प्रकार समय-समय पर शाहपुरा के विभिन्न क्षेत्रों में इसी प्रकार के शिविर का आयोजन होना चाहिए। इस अवसर पर आधार कार्ड ऑपरेटर पूरण रूडला एवं शिवाजी ईमित्र संचालक नवरत्न चावला के द्वारा आधार कार्ड संबंधित कार्य किया गया।

महायज्ञ 17 मई से शुरू

नारायणपुर। कस्बे के राजपुरा मोहल्ले में स्थित माधवानंद सरस्वती परमहंस आश्रम में 17 मई से नव दिवसीय 21 कुण्डीय रूद्र महायज्ञ का शुभारंभ किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन की तैयारियाँ इन दिनों पूरे जोर-शोर से चल रही हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष अर्जुन लाल यादव ने बताया कि साध्वी विदुषी सरस्वती के सान्निध्य में बीते दो महीनों से महायज्ञ की व्यापक तैयारी की जा रही है, जो अब अंतिम चरण में है। यज्ञ का शुभारंभ 17 मई को भव्य कलश यात्रा के साथ किया जाएगा। रूद्र महायज्ञ का आयोजन पंडित वेदप्रकाश यज्ञाचार्य की देखरेख में विधिपूर्वक संपन्न होगा।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल सैयद उस्मान पुत्र सईद सुल्तान निवासी 24369, सूरजपोल गोटा फेक्ट्री, इस्लामिया विद्यालय के सामने, जयपुर का छोटा पुत्र सैयद इस्माईल मेरे मुवक्किल के कहने में नही है एवं मेरे मुवक्किल से लड़ाई-झगड़ा, दुर्व्यवहार करता है, उसने मेरे मुवक्किल का जीना दूभर कर रखा है, इसलिए मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र सैयद इस्माईल को दिनांक 6-5-2025 को अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है, इसलिए सैयद इस्माईल का मेरे मुवक्किल की चल-अचल संपति से कोई संबंध व हक अधिकार नही रहा है तथा सैयद इस्माईल के द्वारा किये जाने वाले किसी भी कृत्य संव्यवहार के बारे में मेरे मुवक्किल की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नही होगी। अतः सूचित रहे।
(सिराज उद्दीन) एडवोकेट, मो.9414386336

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 15/2025
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री विकास सोनी ने पंजीकृत प्रन्यास होप वास्केट फाउण्डेशन 46, ग्राउण्ड फ्लोर जी-2 लक्ष्मण पथ, निवारू रोड, श्री रामपुरी कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 43 जयपुर 2021 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास की बैठक में प्रस्ताव पारित कर प्रन्यासी श्री दीपक गुप्ता व श्रीमती निशा गुप्ता को प्रन्यास के प्रन्यासी पद से निष्कासित कर उनके स्थान पर श्री कैलाश सोनी व श्री नवीन कुमार सोनी को नवीन प्रन्यासी पद से निष्कासित कर उनके स्थान पर श्री कैलाश सोनी व नवीन प्रन्यासी मनोनीत कर उरके नाम प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 14.5.25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइन्दा तारीख पेशी 20.6.25
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in
Phone 0141-2782772
क्रमांक- DHC-II/ 1755 दिनांक 07/03/2025
जाहिर आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा **आवास संख्या 54/157,** मानसरोवर, जयपुर, **क्षेत्रफल 123.00** वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन **श्रीमती सलीना वॉटसन पत्नी श्री जस्टिन रॉय** को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1589 दिनांक 20.05.1994 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 14.03.1995 को प्राप्त कर लिया गया था। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 199 दिनांक 02.05.2008 के द्वारा **श्रीमती सलीना वॉटसन पत्नी श्री जस्टिन रॉय** के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 11.06.2008 को करवाया गया। इसके पश्चात श्रीमती सलीना वॉटसन की मृत्यु दिनांक 19.11.2011 को हो जाने के कारण इनके पुत्र **श्री रोनाल्ड रॉय पुत्र श्री जस्टिन रॉय** के द्वारा मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के **7 दिवस** में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक **श्री रोनाल्ड रॉय पुत्र श्री जस्टिन रॉय** के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त द्वितीय, जयपुर

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जिला परिषद के सदस्यों ने बिजली, पानी और सड़कों की बदहाली को लेकर हंगामा किया

साधारण सभा की बैठक में उपस्थित विधायक दीनदयाल बैरवा, अधिकारी तथा सदस्य।

■ जिला परिषद की साधारण सभा बुधवार को जिला प्रमुख हीरालाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई

दौसा। जिला परिषद की साधारण सभा बुधवार को जिला प्रमुख हीरालाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें जिला परिषद के सदस्यों ने जिले की बुनियादी समस्याओं बिजली, पानी और सड़कों की बदहाली को लेकर जमकर हंगामा किया, साथ ही दही बड़े के टिफिन लहराते हुए कहा कि हम यहां दही बड़े खाने नही, जनता की समस्याओं के समाधान के लिये आये है। गुस्साए सदस्यो ने जल जीवन मिशन में लिप्त अधिकारी व ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही नही की गई तो अगली सभा मे जलदाय विभाग के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने की चेतावनी दी है।

सभा के दौरान विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा कि बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नागरिकों का हक हैं और इन्हें उपलब्ध कराना संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि जिले में हालात दिन-ब-दिन खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे न तो जनता की समस्याओं की सुनवाई कर रहे हैं और न ही समाधान की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं।

सदस्यों ने बताया कि जिले भर में जल संकट गहराता जा रहा है। गांवों में हैंडपंप खराब पड़े हैं, कुएं सूख चुके हैं और टैंकरों से जलापूर्ति की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। जलदाय विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। सदस्यों ने आरोप लगाया कि पिछली बैठक में उठाए गए मुद्दों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और न ही पूर्ण पालना रिपोर्ट दी गई।

बिजली कटौती बनी जनजीवन की आफ़त

बैठक में बिजली संकट भी प्रमुख मुद्दा रहा। सदस्यों ने बताया कि जिले में लगातार बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। भीषण गर्मी में यह कटौती आम जनता के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है। बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर बिजली गायब कर देता है, लेकिन वास्तव में मामूली हवा चलने पर भी आपूर्ति बाधित हो जाती है। गिरे हुए बिजली के खंभों को कई-कई दिन तक नहीं उठाया जाता और ट्रांसफार्मर जलने के बाद भी महीनों तक बदले नहीं जाते।

सड़कें बनी हादसों की वजह

परिषद सदस्य भोमाराम बैरवा ने मलारणा रोड की हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि खराब सड़क के चलते क्षेत्र में आवागमन बाधित है। वहीं, खुरी से चांदराणा मार्ग के दोनों ओर की कीकर झाड़ियों के कारण अब तक कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सफाई या छंटाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

जिला प्रमुख ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश जनप्रतिनिधियों की तीखी टिप्पणियों के बाद जिला प्रमुख हीरालाल सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का शीघ्र और ठोस समाधान सुनिश्चित करें।

बैठक में एडीएम आरएस चौहान, सीईओ नरेंद्र मीणा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, लेकिन अधिकांश अधिकारी जवाबदेही के सवालों पर चुप्पी साधे रहे। जिला परिषद सदस्य मेधराज नांदरी ने दही बड़े की टिफिन लहराते हुए कहा कि हम यहां दही बड़े खाने नही आये है, जनता की मूलभूत सुविधाएं मिले, जनता की समस्याओं का समाधान हो इसके लिए आये है। दौसा जिले में पेयजल संकट गहरा गया है, जल जीवन मिशन का कार्य पिछले दो वर्षो से अधूरा पड़ा हुआ है, जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां पाइप लाइन बिछाई गई है, वहां खुदे रोड़ को आजतक ठीक नही किया गया है। बिना भुगतान व कार्य पूर्ण हुए जल जीवन मिशन ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई है, ग्राम पंचायत का सरपंच अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के लिए ठेकेदार के चक्कर लगा रहे। भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए।

मिष्ठान भण्डारों का निरीक्षण एवं सैम्पल कार्यवाही की

कोटपूतली। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे षुद्ध आहार मिलावट पर वारष अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक व अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा, एडीएम डॉ. ओमप्रकाश सहारण के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ. आशीष सिंह शेखावत के नेतृत्व में बुधवार को कोटपूतली में विभिन्न मिष्ठान भण्डारों का निरीक्षण एवं सैम्पल कार्यवाही की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि कोटपूतली में मैसर्स श्री सैनी स्वीट्स एवं ज्यूस कॉर्नर से मिल्क केक एवं बेसन लड्डू, मैसर्स श्याम स्वीट्स ज्यूस कॉर्नर से मिल्क केक, मैसर्स श्री बालाजी रसगुल्ला भण्डार से मिल्क केक का सैंपल लिया गया। उक्त नमूनों को प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया जायेगा एवं जाँच रिपोर्ट आने पर एक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। निरीक्षण के दौरान मिष्ठान भण्डारों को साफ-सफाई रखने के निर्देश दिये गये एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य पदार्थों के रखरखाव एवं फूड़ सेफ्टी से संबंधित नियमों की जानकारी दी गई।

देवली के कई वार्डों के नलों में गंदे पानी की आपूर्ति पर भड़के पार्षद जैन

■ कई वर्षों से शहर में पीने के पानी की बनी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पार्षद भीमराज जैन करेंगे आंदोलन

देवली । प्रत्येक वर्ष बढ़ती गर्मी के हालातो के बीच शहर के विभिन्न क्षेत्रो जल समस्या उत्पन्न होती चली आ रही है तो वहीं नलों में गंदे पानी की जलापूर्ति आदि समस्या भी गंभीर बनी हुई है। इसको लेकर देवली नगर पालिका सभागार में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कालूराम मीणा ने अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा पालिका अध्यक्ष नेमीचंद जैन पालिका उपाध्यक्ष सौरभ जिंदल सहित पालिका मंडल के सदस्य गण उपस्थित रहे बैठक में मुद्दा छाया रहा की शहरी जल योजना की विभिन्न प्रस्तावित स्कीम का शहर वासियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है बैठक में मौजूद पार्षद भीमराज जैन ने जानकारी मैं बताया कि शहर के साकेत कॉलोनी में पिछले 4 वर्षों से जलापूर्ति आवश्यकता अनुसार नियमित रूप से नहीं हो पा रही है इस समस्या को इसी क्रम में उपखंड अधिकारी को संबंधित मंत्री के नाम ज्ञापन दिए जा चुके हैं इस दौरान पार्षद भीमराज जैन ने पूर्व में दिए ज्ञापन का हवाला दे देते हुए पानी की समस्या के मामले में काफी जलदाय विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथ लिया और बताया कि शहर के कई वार्डों में बदबूदार गंदा पानी नलों में आपूर्ति के दौरान आ रहा है इस गंभीर समस्या से जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार सूचना देकर अवगत करवा चुके हैं लेकिन शहर वासियों की उक्त समस्या का कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

इस दौरान पार्षद भीमराज जैन ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से पीने के पानी की उक्त योजना के लिए लगभग 33 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके है। इस योजना में देवपुरा बनास नदी के किनारे 6 मीटर व्यास के दो ओपन वाल बनाने, देवपुरा रोड पर शमशान घाट के पास 2 एमएलडी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने, पंप सेट लगाने, पावर कनेक्शन, पुराने नल कनेक्शन बदलने, पीएलसी स्काडा सिस्टम का कार्य, राइजिंग पाइपलाइन का कार्य एवं पांच विभिन्न उच्च जलाशय का निर्माण कार्य शामिल है।

जैन ने बताया कि इसी प्रकार जल योजना देवली के अमृत 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित योजना में कुल राशि 497.94 करोड़ है। इसके तहत देवपुरा ओपन वेल से पटेल नगर फिल्टर प्लांट तक मुख्य संचरण पाइपलाइन बिछाने का कार्य, देवपुरा में जैक्वेल की सफाई, पटेल नगर में फिल्टर प्लांट के सुदृढ़ीकरण का कार्य, कीर मोहल्ला और गाड़िया लुहार बस्ती में पाइप लगाने का कार्य, पुराने कनेक्शन बदलने एवं 5 वर्ष का संचालन संधारण का कार्य शामिल है।

कलक्टर को ज्ञापन सौंपा

भरतपुर (निस)। पैट्रोल पम्पों पर आमजन के लिए सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर ग्राहक पंचायत ने जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जयपुर प्रान्त के प्रान्तीय सह संगठन मंत्री घनश्याम के निर्देशन एवं जिलाध्यक्ष बाबूलाल कटारा के नेतृत्व में आज पैट्रोल पम्पों पर आमजन के लिए सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर ग्राहक पंचायत की ओर से जिला कलक्टर भरतपुर को ज्ञापन सौंपा गया। ग्राहक पंचायत की ओर से यह मांग की गई कि पैट्रोलियम और प्राकृतिक नियामक से प्राप्त लाइसेंस के अनुसार आमजन के लिए उपलब्ध होने वाली सुविधाओं को बहाल करवाया जावे। ज्ञापन में बताया गया है कि पेट्रोल पंपों पर हवा भरने, पीने के पानी, शौचालय, फोन कॉल, फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी, शिकायत बॉक्स, ओपनिंग क्लोजिंग टाइम, मालिक और पेट्रोलियम कंपनी जानकारी, क्रेडिट कार्ड से भुगतान आदि सुविधाएं आमजन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ज्ञापन के माध्यम से जिला कलक्टर से सभी पेट्रोल पंप पर आमजन के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जांच करवाने की मांग भी की गई।

पुरुषार्थी समाज सेवा और सिमरन में हमेशा आगे : संजय शर्मा

अलवर राज्य के वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पुरुषार्थी समाज सेवा और प्रभु के सिमरन में हमेशा आगे रहा है जिससे सभी को प्रेरणा मिलती है।

शर्मा ने मोहल्ला नवाबपुरा में

■ स्वामी गंगाधर गुरुद्वारे में किया वाटर कूलर का उद्घाटन

कई संस्थाओं के पदाधिकारियों ने राज्य के वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का स्वागत किया।

स्वामी गंगाधर गुरुद्वारे में खानचंद चिमनी बाई हजरती ट्रस्ट की ओर से लगाए गए वाटर कूलर के लोकार्पण अवसर पर यह बात कही।

इस अवसर पर शर्मा ने कीर्तन में भाग लिया और लंगर किया। ट्रस्ट की ओर से दौलत राम हजरती और कृष्ण कुमार हजरती ने संस्था के कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में कई संस्थाओं के पदाधिकारियों ने वन मंत्री का स्वागत किया जिसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष महेन्द्र तनेजा, नेक कमाई फाउंडेशन से मुखय कोर्डिनेटर अभिषेक तनेजा और सौरभ कालरा, जिला पुरुषार्थी समिति तथा अपना घर आश्रम की ओर से अशोक आहूजा, पंजाबी खत्री एकता मंच की ओर से राजू धवन, तांगा स्टैंड रामलीला से हरिकिशन खत्री, कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसीपल डा. सत्यभान यादव, मनोहर झाम, तिलक झाम, अशोक राजा जोशी, धर्मेन्द्र अदलकखा, जगदीश गिज्जा और आशीष तनेजा आदि थे। अंत में दोलत राम हजरती ने आभार जताया।

युवकों पर किया जानलेवा हमला, मामला दर्ज

देवली। शहर के बस स्टैंड परिसर में सोमवार रात दो युवकों के साथ मारपीट करने का मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। इसे लेकर पीड़ित जतीन बैरवा और तुषार खटीक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें बताया कि बस स्टैंड परिसर में अनिल ग्वाला और धर्मा साहू ने उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों से अपमानित भी किया। शिकायत के अनुसार, दोनों युवक बस स्टैंड पर चाय पीने गए थे, जहां अनिल, ग्वाला और धर्मा साहू ने उन्हें बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में ले जाकर मारपीट की। जतीन बैरवा ने पुलिस को बताया कि आरोपी दोनों युवकों ने उनके साथ लोहे के पाइप से मारपीट की जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। इस मारपीट में उनके पूरे शरीर पर गंभीर चोटें आईं हैं। तुषार खटीक को लोहे की चेन से मारा गया जिससे उनके घुटने और पैरों में गहरे घाव हो गए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों युवकों को जातिसूचक शब्दों से भी अपमानित किया गया है। और उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस दोनों युवकों के साथ हुई मारपीट को लेकर जानकारी ली इससे पहले मारपीट दौरान बस स्टैंड में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी।

घटनास्थल पर मौजूद लोगों में से कुछ लोगों ने दोनों युवकों को धर्मशाला का गेट खोल कर छुड़वाया इसके बाद युवक घायल अवस्था में पुलिस थाने पहुंचे जहां युवकों ने खुद पर आप बीती की घटना बताते हुए पुलिस को रिपोर्ट दी इस पर पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित जतीन बैरवा पुत्र भंवर लाल बैरवा एवं तुषार खटीक पुत्र छीतर लाल खटीक निवासी बंगाली कॉलोनी से घटनास्थल की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। और अनुसंधान के लिए देवली पुलिस उपाधीक्षक को इस मामले की सूचना पहुंचा दी।

सरकार ने समाधान करने के लिए हमें आपके बीच में भेजा है : कलेक्टर

रात्रि चौपाल पर महिलाओं की पानी की शिकायत पर अभियंता से जबाब मांगते कलैक्टर किशोर कुमार।

■ तिजारा क्षेत्र के गोठडा गांव में रात्रि चौपाल का हुआ आयोजन, 35 शिकायतें की दर्ज

किशनगढ़ बास । कोटकासिम किशनगढ़ बास सड़क मार्ग पर तिजारा विधानसभा क्षेत्र के गोठडा गांव के राजकीय विद्यालय में जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में 35 प्रकरण अलग-अलग लोगों ने समस्याओं से जुड़े कलेक्टर के समक्ष रखें जिन पर कलेक्टर संबंधित विभागों के अधिकारियों से ग्रामीणों के सामने जवाब मांगा और तुरंत प्रभाव से समाधान के निर्देश दिए।

गांव में पानी की किल्लत को लेकर रात्रि चौपाल में कलेक्टर के सामने शिकायत लेकर पहुंची महिलाओं की परेशानी सुनने के बाद कलेक्टर ने उपस्थित पेयजल विभाग के अधिकारी को महिलाओं के बीच बुलाया और कहा यह महिला पानी के लिए आई है इनकी समस्या का समाधान करें । इसके अलावा अतिक्रमण, भूमि विवाद, नामांतरण, चारागाह भूमि पर कब्जा व अवैध निर्माण कार्य, पेंशन, पुलिस, पंचायत से पट्टा दिलाने, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के संबंध में शिकायत दर्ज की गई कलेक्टर ने समाधान हेतु मौके पर अधिकारीयों को निर्देश प्रदान किए।

जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया ,भूमि पैमाइश के कारण आपसी विवाद, आवासीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामलों में पुलिस सहायता लेकर समस्या का निस्तारण करें। प्रकरणों को लेकर ना बैठे, अपने क्षेत्राधिकार में नहीं होने पर उच्च स्तर पर संपर्क कर निपटाएं। अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर परिवादी से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए एवरेज डिस्पोजल टाइम में सुधार करें।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने ग्राम वासियों को गांव का पानी गांव में तथा खेत का पानी खेत में रखने एंव जल संरक्षण के महत्व को बताते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को पानी की विकराल समस्या से बचने के लिए वर्तमान में सभी ग्रामीणों से घर-घर जल संरक्षण करने साथ ही बरसात के पानी को संरक्षित करने की अपील की। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रही पीएम सूर्य घर योजना तथा जल शक्ति अभियान के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया तथा खेतों में डीएपी की जगह यूरिया और एसएसपी के मिश्रण का उपयोग करने के फायदे गिनाये।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री जयन्त पारीक पुत्र श्री राधेश्याम पारीक एवं श्रीमती अर्चना पारीक धर्मपत्नि श्री जयन्त पारीक, निवासी- पुराने बैंक पोस्ट के पास, माउन्ट आबू, सिरोही, राजस्थान की पुत्री शताक्षी पारीक अपने माता पिता के कहने में नहीं है तथा अपने माता पिता से अलग निवास कर रही है। जिसके कारण मेरे अभिभाष्यगण ने अपने समस्त संबंध समाप्त करते हुये उसे अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पति से बेदखल कर दिया है। आज के बाद शताक्षी पारीक का मेरे अभिभाष्यगण एवं उनकी किसी भी सम्पति से कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नही रहेगा। यदि आज के बाद किसी भी व्यक्ति के द्वारा इनसे किसी प्रकार का कोई लेनदेन या संव्यवहार किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। सूचित रहे।
(पूनम चन्द्र शाह) एडवोकेट, मो.9529883555

आम सूचना सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल मैहरुद्दीन मेवाती पुत्र श्री जमालुद्दीन मेवाती निवासी- ए-2, सूर्य नगर, बैनाड़, बोयतावाला, जयपुर के पुत्र फुरकान मेवाती उनके कहने मे नही है। इन्हे मेरे मुवक्किल अपनी समस्त चल-अचल सम्पति से बेदखल करते है। आज के बाद मेरे मुवक्किल से उनके पुत्र फुरकान मेवाती का कोई लेना देना नही है। मेरे मुवक्किल ने अपने उक्त पुत्र से अपने सभी सम्बन्धो को समाप्त कर लिये है। आज से फुरकान मेवाती द्वारा किये गये किसी भी कृत्य के प्रति मेरे मुवक्किल उत्तरदायी नही होंगे। यदि कोई भी व्यक्ति फुरकान मेवाती से किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार रखेगा, तो वह इसका स्वंय जिम्मेदार होगा। इसमे मेरे मुवक्किल की कोई जिम्मेदारी व जवाबदेही नही होगी। सूचित रहे।
जयपुर (ओम प्रकाश खींची) एडवोकेट
दिनांक मो. 9828639777

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज
(पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पीछे, बड़ी चौपड़, जयपुर) (लैण्ड प्रकोष्ठ)
क्रमांक: एफ-6( )उपा. लैण्ड(सा.प्र.)/ननिज./2024/2308 दिनांक: 03/01/025
सार्वजनिक सूचना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जयपुर द्वारा मूल भूखण्ड संख्या बी-8ई, बनीपार्क विस्तार, जयपुर क्षेत्रफल 416.6 वर्गगज का नीलामी पुष्टि पत्र तथा भू.सं. ई-8बी, बनीपार्क विस्तार, जयपुर का कब्जा पत्र श्री वी.के. मित्तल पुत्र श्री सूरजभान मित्तल के नाम से जारी किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 02.03.23 को नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा मूल भूखण्ड में से भू.सं. ई-8ए क्षेत्रफल 229.16 वर्गगज का श्री राजेन्द्र कुमार मित्तल के नाम से उपविभाजन स्वीकृति पत्र जारी किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड उपहार पत्र, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर भू.सं. ई-8ए, बनीपार्क विस्तार, जयपुर क्षेत्रफल 229.16 वर्गगज का नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा श्री मनीष मित्तल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार मित्तल के पक्ष में पट्टा जारी किया जाना है। इस पट्टा जारी किये जाने बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, लैण्ड) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
(हंसा मीणा) उपायुक्त (लैण्ड) नगर निगम जयपुर हैरिटेज

नाम परिवर्तन
मैं विरेन्द्र सिंह ये घोषित करता हूं की मेरा नाम पहले वोटर आईडी में विरेन्द्र था और अभी मेरे आधार व पेन कार्ड में विरेन्द्र सिंह है। तथा मुझे मेरे आधार व पेन कार्ड के नाम से भविष्य जाना जाये। दोनों व्यक्ति सेम है।
मैंने मेरा नाम साजिद खान से बदलकर साजिद पुत्र श्री मोहम्मद सलीम रख लिया है। भविष्य में मुझे मोहम्मद साजिद के नाम से जाना जावे। पता - 614 जे.पी. कॉलोनी सेक्टर नं. 3 शास्त्रीनगर जयपुर।
I Nirmala Mishra, W/o Shiv Sharan Mishra Resi- VPO- Sarwan, Tehsil- Tarabganj, Gonda UP. have changed my Name from Nirmala Mishra to Vimla. vide Affidavit dated 14/05/2025 before, Jaipur

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
आदेश 5 के नियम 1 और 5
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जि. जयपुर
टोडा वगैरह बनाम घीसा वगैरह
वाद पत्र सं. 190/2006
वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा
बनाम -1-राहुल पुत्र स्व. बालकिशन 2.अल्का पुत्री स्व. बालकिशन पत्नि राजेन्द्र झुंझुनूंवाला, 3- संध्या पुत्री स्व. बालकिशन पत्नि मित्रसेन 4- वर्षा पुत्री स्व. बालकिशन पत्नि राजीव सेठी समस्त जाति अग्रवाल निवासी लोट्स हाउस, न्यू मेरिन लाईन्स मुम्बई महाराष्ट्र।
उपरोक्त आपके विरूद्ध उपरोक्त के वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 22-05-25 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस माह से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल, सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या सुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद तारीख 25-04-25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से लगाकर दिया गया है।
मोहर न्यायाधीश
उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
साधारण प्रारूप
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्याक 4
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-01 स्थान जयपुर महानगर द्वितीय
चमन सिंह निर्वाण विरूद्ध रामसिंह राजावत व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र संख्या TI 25 सन् 2025
नाम नरपत सिंह पुत्र जसवंत सिंह राजावत जाति राजपूत पता प्लाट न. 227 मोती विहार 21 न. बस स्टेंड पांच्यावाला सिरसी रोड जयपुर उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 13 माह 5 सन् 25 को आठ बजे ए. एम. पूर्वान्ह में स्वं या अपने प्लीडर द्वारा जिले सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह तारीख 14 माह 5 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत
रीडर ग्रेड-प्रथम
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-01, जयपुर महानगर द्वितीय

खोया पाया
मेरे मकान 11/1386 मालवीय नगर जयपुर का मूल अलॉटमेंट लेटर जोकी राम सबलानी के पक्ष में है- मालवीय नगर में कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें 7878687845 ज्योति देवी
संख्या कच्छावा के नाम से रजिस्टर्ड प्लाट नंबर 32, ग्रीन त्रिवेणी फेज द्वितीय नीदड, आमेर सीकर, रोड जयपुर के विक्रय पत्र 09.03/2015 का मूल साइड प्लान खो गया है मिलने पर सूचित करें, संध्या कच्छावा मो. 9828136502
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की आवासीय योजना-गिरधारीपुरा, जयपुर के प्लॉट नंबर ए-245 का मूल आवंटन पत्र, कब्जा पत्र व साईट प्लान, जेडीए द्वारा जारी मूल पट्टा कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें। - तीजा-मोबाईल नम्बर 6377752758
मेरे मकान नंबर 4/320 सैक्टर, मालवीय नगर का अलोटमेंट लेटर नंबर L/P-3/22 कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। कमल जालान पुत्र जुगल किशोर जालान 8209950713

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-01 स्थान जयपुर महानगर द्वितीय
चमन सिंह निर्वाण विरूद्ध रामसिंह राजावत व अन्य
वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
वाद सं सीएस 40 सन् - 2025
स्थान प्लाट न. 227 मोती विहार 21 न. बस स्टैण्ड पांच्यावाला सिरसी रोड जयपुर ने आपके विरूद्ध के लिए वाद पंजीकृत किया है। आपका इस न्यायालय (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस माह से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल, सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या सुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह तारीख 14 माह 5 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
रीडर ग्रेड-प्रथम
मोहर अदालत
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-01, जयपुर महानगर द्वितीय

Office of The Gram Panchayat KOTRI DHAYALAN Khandela
sno:- tender/2025-26/SPL date:-14.05.2025
TENDER NOTICE
E-tenders are invited under open tener process from registered contractors/contractors etc. for CLEANING AND SANITATION WORK in Gram panchayat KOTRI DHAYALAN in the financial year 2025-26. Detailed details of tenders can be seen on sppp.rajasthan.gov.in The UBN NUMBER of the tender is PIT2526SSRC00072
VDO **parsasak**
GP KOTRI DHAYALAN **GP KOTRI DHAYALAN**

OFFICE THE GRAM PANCHAYAT ANATPURA PS-SRIMADHOPUR (SIKAR)
No.Eproc/2025-26/41 Date:- 14/05/25
E-Tender Notice No. 02/2025-26
Bids for open tender of procurement Of Construction Material for Work in MGNREGA And Other Scheme in Gram Panchayat ANATPURA Panchayat Samiti SRIMADHOPUR (Sikar) are invited from Firms/Suppliers Registered Under the GST act 2017, 6.00 PM of 22-05-2025. Other particulars of the bid may be visited on the procurement Portal http://sppp.raj.nic.in and http;//eproc.rajasthan.gov.in) of the state and at Gram Panchayat ANATPURA Office in all working days.
UBN:- SMD2526GLRC00052
ADMINISTRATOR **VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER**
GRAM PANCHAYAT ANATPURA **GRAM PANCHAYAT ANATPURA**
PANCHAYAT SAMITI **PANCHAYAT SAMITI**
SRIMADHOPUR **SRIMADHOPUR**

प्ररूप-10 नियम 6 (7) देखिए ।
प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगरपालिका मण्डल, देवली (टोंक) राज.
क्रमांक-न.पा.दे./कृषि भूमि/2025-26/11287 दिनांक :-14.05.25
लोक सूचना
श्री द्वारका प्रसाद भूषण पुत्र श्री जेसीराम ढोली, निवासी विवेकानन्द कॉलोनी, देवली, तह. देवली, जिला टोंक ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

जिले सहित तहसील का नाम ग्राम	राजस्व का नाम	खसरा सं.	रकबा/क्षेत्र	मास्टर प्लान में दर्शित भू-उपयोग	भू-उपयोग का प्रकार
तह. जहाजपुर जिला भीलवाड़ा	ऊंचा	1788/1244	0.2408 है.	मास्टर प्लान में विशेष क्षेत्र	विशेष क्षेत्र से आवासीय

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 14.05.2025 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका देवली